

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2878
उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2016
12 श्रावण, 1938 (शक)

खेल अवसंरचना

2878. श्री परेश रावल:

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री सुभाष पटेल:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री दुष्यंत चौटाला:

डॉ. बंशीलाल महतो:

श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री सी.आर. पाटील:

डॉ. किरीट सोमैया:

श्री आर. धुवनारायण:

श्री अश्विनी कुमार:

श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आधारभूत खेल अवसंरचना की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न खेलों के संवर्धन हेतु आधारभूत खेल अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक जिले में स्टेडियम के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से स्टेडियम के निर्माण और अन्य आधारभूत अवसंरचना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है और राज्य-वार चिह्नित स्थान कौन से हैं; और

(छ) इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री विजय गोयल)

(क) से (छ): खेल राज्य का विषय है और इसलिए, खेलों को बढ़ावा देने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। इसलिए, पूरे देश में खेल अवसंरचना की स्थिति का ब्यौरा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता। यह मंत्रालय, वित्तीय वर्ष 2016-17 से "खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

इस स्कीम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मुफस्सिल, तहसील, जिला, राज्य स्तर आदि पर खेल अवसंरचना का सृजन करना है। स्कीम के अवसंरचना घटक में पात्र निकायों यथा राज्य सरकारें/राज्य खेल परिषद/राज्य खेल प्राधिकरण, स्थानीय नागरिक निकाय, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तथा खेल नियंत्रक बोर्डों के लिए कृत्रिम एथलेटिक ट्रैक, कृत्रिम हाकी मैदान, कृत्रिम टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल तथा तरणताल की परियोजना शामिल होगी। इस स्कीम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया है कि वे अपने प्रस्ताव इसके अनुसार भेजे। इस स्कीम में पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के अध्यक्षीन जिला मुख्यालयों में स्टेडिया परिसर के निर्माण के लिए निधियन का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस स्कीम के लिए 140 करोड़ का वित्तीय आवंटन है।

वर्ष 2016-17 के दौरान स्टेडिया के निर्माण से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंधक में दिया गया है।

खेल अवसंरचना के संबंध में श्री परेश रावल, श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री सुभाष पटेल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री दुष्यंत चौटाला, डॉ. बंशीलाल महतो, श्री कंवर सिंह तंवर, श्री सी.आर. पाटील, डॉ. किरीट सोमैया, श्री आर. धुवनारायण, श्री अश्विनी कुमार तथा श्री कामाख्या प्रसाद तासा, संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 03.08.2016 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2878 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अनुबंध-I

वर्ष 2016-17 के दौरान नये स्टेडिया के निर्माण से संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	राजमुंदरी में इंडोर स्टेडियम का निर्माण
2.	झारखंड	गोड्डा में खेल परिसर की स्थापना
3.	कर्नाटक	स्टेडिया परिसर का निर्माण
4.	मिजोरम	मूलंगथूआइजोल जिला, मिजोरम में स्टेडिया खेल परिसर का निर्माण
5.	राजस्थान	जालोर और सिरोही जिले, राजस्थान में एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण
6.		सरकारी माध्यमिक विद्यालय, धाना, जिला झुंझुनूं, राजस्थान में एक स्टेडियम का निर्माण
